भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1004
दिनांक 13 दिसंबर, 2022 को उत्तरार्थ

विषय:- **प्रदूषण नियंत्रण हेतु कृषि का मशीनीकरण**
1004. **डॉ. कलानिधि वीरास्वामी:**
क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के मुद्दे से निपटने में कृषि मशीनीकरण की भूमिका से अवगत हैं;
(ख) यदि हां, तो इस संबंध में लागू केंद्रीय योजनाओं या कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) फार्म मशीनरी पर दी जाने वाली राजसहायता का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) गत तीन वर्षों में सरकार द्वारा राजसहायता के रूप से वितरित की गई धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ड.) 'कस्टम हायरिंग' केंद्रों की कुल संख्या का जिले-वार ब्यौरा क्या है;
(च) 'कस्टम हायरिंग' केंद्र स्थापित करने के लिए अपेक्षित औसत धनराशि का ब्यौरा क्या है; और
(छ) क्या सरकार कृषि मशीनीकरण को प्रोत्साहन देने में 'कस्टम हायरिंग' केन्द्रों की प्रभावकारिता की निगरानी कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (छ): रबी फसल की बुवाई हेतु खेतों को खाली करने के लिए पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्यों के गंगा के मैदानी क्षेत्रों में मुख्य रूप से धान की पराली जलाई जाती है। वायु प्रदूषण को दूर करने और फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए आवश्यक मशीनरी पर सब्सिडी देने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकारों के प्रयासों का समर्थन करने के लिए वर्ष 2018-19 से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने' पर एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन हेतु सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, श्रब मास्टर/रोटरी स्लेशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रॉलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाऊ, क्रॉप रीपर और रीपर बाइंडर तथा बेलर्स और स्ट्रॉ रेक जिनका उपयोग पराली के अन्य एक्स सीटू उपयोग के लिए गांठों के रूप में पराली संग्रहण किया जाता है, को बढ़ावा दिया जाता है। इन पहचानित फसल अवशेष प्रबंधन

मशीनरी की खरीद के लिए किसानों को मशीनरी की लागत के 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है तथा इन पहचानित फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी) की स्थापना के लिए किसानों की सहकारी समितियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), पंचायत को परियोजना लागत की 80% दर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्यों ने 37000 से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र (सीएचसी) स्थापित किए हैं तथा इन सीएचसी और इन राज्यों के किसानों को 2.30 लाख से अधिक फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की आपूर्ति की गई है। पिछले प्रत्येक पांच वर्षों के दौरान जारी की गई राज्य-वार निधियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	**जारी की गई धनराशि (रुपये करोड़ में)**					
	पंजाब	**हरियाणा**	**उत्तर प्रदेश**	**राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली**	**आईसीएआर और अन्य**	**कुल**
2018-19	269.38	137.84	148.60	0.00	28.51	584.33
2019-20	273.80	192.06	105.28	4.52	18.48	594.14
2020-21	272.50	170.00	120.20	0.00	8.00	570.70
2021-22	331.94	193.35	159.59	0.00	6.02	690.90
2022-23	278.83	223.46	180.00	1.53	14.28	698.10
कुल	**1426.45**	**916.71**	**713.67**	**6.05**	**75.29**	**3138.17**

कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन योजना के साथ उपरोक्त योजना के तहत सीएचसी की अधिकतम अनुमेय परियोजना लागत 80% सब्सिडी की दर से 15 लाख रुपये प्रति सीएचसी तक सीमित है। इस योजना का प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टेरी) द्वारा वर्ष 2020 में आयोजित किया गया था जिसका एक प्रमुख उद्देश्य प्रत्येक किसानों, सहकारी समितियों और सीएचसी जैसी विभिन्न संस्थाओं द्वारा प्रत्येक मशीन के औसत उपयोग का आकलन करना था। इस अध्ययन से पता चला कि 90% सीएचसी, किसान सदस्यो द्वारा मशीन उपयोग हेतु बिना किसी किराये/शुल्क के सीआरएम मशीनों का स्वतंत्र रूप से आदान-प्रदान कर रहे थे। राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के अनुसार 2018-19 से 2022-23 तक स्थापित कस्टम हाइरिंग केन्द्रों की जिले-वार संख्या **अनुबंध-I** में दी गई है।

लो.स.अता.प्र.सं.1004
अनुबंध-I

वर्ष 2018-19 से 2022-23 तक जिला-वार स्थापित कस्टम हाइरिंग केन्द्रों (सीएचसी) की संख्या

पंजाब		हरियाणा	
ज़िला	**सीएचसी की संख्या**	**ज़िला**	**सीएचसी की संख्या**
अमृतसर	611	करनाल	784
बरनाला	997	कैथल	1042
बठिंडा	2086	जींद	863
फरीदकोट	1282	कुरुक्षेत्र	756
फतेहगढ़ साहिब	253	फतेहाबाद	855
फाजिल्का	1074	सिरसा	824
फिरोजपुर	2147	अंबाला	266
गुरदासपुर	1002	यमुनानगर	253
होशियारपुर	518	हिसार	255
जालंधर	1354	रोहतक	118
कपूरथला	1119	पलवल	87
लुधियाना	907	भिवानी	64
मनसा	1510	झज्जर	122
मोगा	683	पंचकुला	7
मुक्तसर	3037	पानीपत	186
पठानकोट	45	सोनीपत	238
पटियाला	975	रेवाड़ी	9
रोपड़	190	फरीदाबाद	7
रूपनगर	1230	मेवात	19
संगरूर	114	चरखी दादरी	19
एसएएस नगर	281	गुरुग्राम	1
एसबीएस नगर	1494	महेंद्रगढ़	0
तरनतारन	611	**कुल**	**6775**
कुल	**23520**		

उत्तर प्रदेश			
ज़िला	**सीएचसी की संख्या**	**ज़िला**	**सीएचसी की संख्या**
आगरा	133	जौनपुर	52
अलीगढ़	118	झांसी	108
अम्बेडकर	47	कन्नौज	20
अमेठी	53	कानपुर देहात	82
अमरोहा	229	कानपुर नगर	38
औरैया	25	काशगंज	21
अयोध्या	48	कौशाम्बी	45
आजमगढ़	91	कुशीनगर	75
बदायूं	65	लखीमपुर खीरी	174
बागपत	103	ललितपुर	106
बहराइच	58	लखनऊ	120
बलिया	44	महाराजगंज	109
बलरामपुर	37	महोबा	121
बाँदा	28	मैनपुरी	32
बाराबंकी	144	मथुरा	149
बरेली	110	मऊ	25
बस्ती	169	मेरठ	88
भदोही	18	मिर्जापुर	56
बिजनौर	373	मुरादाबाद	84
बुलंदशहर	407	मुजफ्फरनगर	336
चंदौली	57	पीलीभीत	230
चित्रकूट	20	प्रतापगढ़	51
देवरिया	95	प्रयागराज	57
एटा	31	रायबरेली	39
इटावा	59	रामपुर	155
फर्रुखाबाद	33	सहारनपुर	285
फतेहपुर	124	संभल	58
फिरोजाबाद	73	संतकबीरनगर	51
गौतमबुद्धनगर	56	शाहजहांपुर	202
गाज़ियाबाद	32	शामली	123
गाजीपुर	66	श्रावस्ती	54
गोंडा	176	सिद्धार्थनगर	43
गोरखपुर	85	सीतापुर	136
हमीरपुर	133	सोनभद्र	20
हापुड़	57	सुल्तानपुर	81
हरदोई	208	उन्नाव	64
हाथरस	25	वाराणसी	24
जालौन	61	**कुल:**	**7205**

******